क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं. 02 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी प्रथम चरण जोधपुर
Phone No. ***0291–2723225*** *Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com*

क्रमांकः–एफ–1(47) / राप्रनिम / नीलामी सूचना–01 / 21–22 / 1877 दिनांकः– 03/09/2021

निदेशक (संवाद),
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
शासन सचिवालय,
जयपुर (राज.)।

विषयः– नीलामी सूचना प्रकाशित करने बाबत्।

महोदय,

कृपया संलग्न नीलामी सूचना को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में एक बार न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे।

यहां उल्लेखित है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड–प्रथम भाग दो भण्डार कय नियम अध्याय 1 नियम संख्या 25 शीर्षक "व्ययन (डिस्पोजल) विकय / नीलाम के लिये प्रचार व अवधि" अन्तर्गत सरप्लस सामान का मूल्य 10.00 लाख से अधिक होने के कारण 20 दिन की प्रचार अवधि देते हुये नीलामी सूचना को 20 दिन पूर्व सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त नियमानुसार नीलामी सूचना को निर्धारित अवधि में प्रकाशन की पालना सुनिश्चित करते हुये एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करावे।

संलग्नः– नीलामी सूचना की प्रति।

भवदीय

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांकः–एफ–1(47) / राप्रनिम / नीलामी सूचना–01 / 21–22 / दिनांकः–

1. प्रतिलिपि सदस्य सचिव महोदय, जयपुर को उनके आदेश कमांक एफ8(320) / रा.प्र.नि.म. / स्टोर / 91–96 दिनांक 14 / 06 / 2021 की अनुपालना के कम मे।
2. श्री राजीव मेहनोत, कार्यालय अध्यक्ष, मण्डल मुख्यालय, रा. प्र. नि. म. जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्री रमेश चंद रैगर, सहायक लेखाधिकारी प्रथम (ऑडिट), मण्डल मुख्यालय, रा. प्र. नि. म. जयपुर को सूचनार्थ।
4. प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी (आई.टी. शाखा) रा. प्र. नि. म. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना एवं नीलामी शर्तो को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावे।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय रा. प्र. नि. म. जोधपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Phone No. 0291-2723225 Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांकः–एफ–3(2)/राप्रनिम/स्टोर/21–22/ 1877 दिनांकः– 03/9/2021

नीलामी सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय में अनुपयोगी सामान (प्रयोगशाला उपकरण एवं मशीनरी इत्यादि) की नीलामी की जानी है। नीलामी की तिथि 24/09/2021 समय दोपहर 1:00 बजे निर्धारित है। उपस्थित बोलीदाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष बोली लगाकर, सामान नीलाम किया जावेगा। नीलाम किये जाने वाले सामान का पुस्तकांतिक मूल्य राशि रूपये 29,94,667.00 (रूपये उन्नतीस लाख चौरानवे हजार छः सौ सडसठ मात्र) है। विस्तृत विवरण राज्य मण्डल की वेबसाईट (http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb) पर उपलब्ध है।

(अमित शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय रा. प्र. नि. म. जोधपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एस.पी.एल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Phone No. 0291-2723225 Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांकः–एफ–1(47)/राप्रनिम/स्टोर/21–22/1877 दिनांकः–03/9/2021

–: नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले नीलामी दिनांक को ही उल्लेखित धरोहर राशि नकद रूपये 50,000/– **(रूपये पचास हजार मात्र)** जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।
2. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के क्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
3. एक बार बोली समाप्त होने पर नकारा घोषित सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को एक चौथाई राशि, सामान नीलामी के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर ही जमा करवानी होगी।
5. शेष तीन चौथाई राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी। बैक ड्राफ्ट **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य जोधपुर (Member Secretary, RSPCB Payable at Jodhpur)** के नाम से देय होगा। नीलाम के दिन से तीन दिन के अन्दर नीलाम किये गये सामान की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। तीन दिन में राशि जमा नही करवाने पर 1000/– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा। नीलामी तिथि से सात दिवस तक राशि जमा नही करवाने पर जमा करवाई गई एक चौथाई राशि भी जब्त कर ली जावेगी।
6. नीलाम किये गये सामान को नीलामी के दिन से सात दिवस के अन्दर उठाना आवश्यक होगा। सात दिवस में सामान नही उठाने पर 500/– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
7. समान जहां है, जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। सामान की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिये क्षेत्रीय कार्यालय उतरदायी नही होगा।
8. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से GST का भी भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
9. राज्य मण्डल का कोई भी कार्मिक बोली में भाग नही ले सकेगा।
10. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
11. उक्त शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी शक का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
12. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
13. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर